# कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
## तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com


पत्रांक 2139 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 22/02/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

**विषयः–** **जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022 )**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. / 1323 दिनांक 03.01.2023, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1615 / FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 04.01.2023 एवं आपका पत्रांक 572 / 4सी दिनांक 20.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य में वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. / 1323 दिनांक 03.01.2023 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1615 / FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 04.01.2023 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके द्वारा कार्य अपने संदर्भित पत्र द्वारा आरम्भ करने की अनुमति हेतु आवदेन किया गया है। उक्त में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक 447 / 4सी दिनांक 09.02.2023 से समस्त दय जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये गये, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 2077 / 12–1 दिनांक 21.02.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्च स्तर को पूर्व में प्रेषित की गयी।

उक्त में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 285/X-4-14-18/1-05(04)/2014 दिनांक सितम्बर 2018, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्रांक 11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 11 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति **एक वर्ष** के लिये दी जाती है। प्रयोक्ता अभिकरण को निर्माण के दौरान सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तो तथा इस सम्बन्ध में अन्य नियमों / विनियमों / राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तो का भी अनुपालन करना होगाः–

1. निर्माण कार्य करने की अवधि मात्र एक वर्ष की होगी, जो इस पत्र की दिनांक से आरम्भ होगी। साथ ही एक वर्ष के उपरान्त स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

2. कार्य की अवधि के दौरान यदि श्रमिकों, कार्यदायी संस्था एवं प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियाँ यथा अवैध पातन, अवैध शिकार होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
3. कार्य की अवधि के दौरान वन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों को बैरियर पर संधारित पंजिका में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।
4. श्रमिकों, कार्यदायी संस्था एवं प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों को सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद आरक्षित वन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
5. उक्त शर्तो के उल्लंघन की दशा में भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0 2139 / 12-1 उक्तदिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून–248001। Email ID: moef.ddn@gov.in. को सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 11 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कार्य आरम्भ करने का आदेश को विभागीय website पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी, किच्छा एवं हल्द्वानी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
9. वन क्षेत्राधिकारी भाखड़ा, टाण्डा, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0– बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल–263139।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर



उत्तराखण्ड वन विभाग